

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-24012022-232834  
SG-DL-E-24012022-232834असाधारण  
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37]	दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 21, 2022/माघ 1, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 386
No. 37]	DELHI, FRIDAY, JANUARY 21, 2022/MAGHA 1, 1943	[N. C. T. D. No. 386

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIवन एवं वन्य जीव विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 21 जनवरी, 2022

**F. 1(2495)/LEGAL/HQ/2021-22/9734-42.**—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्या 16) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, अधिसूचना संख्या 104--जे और 146--जे दिनांक 24.08.50 और 06.12.1950, के साथ पठित, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल, एतद्वारा मंडलीय आयुक्त (राजस्व) को भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत जारी बंदोबस्त अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के  
आदेश से तथा उनके नाम पर,  
डॉ. के.एस. जयचंद्रन, विशेष सचिव (पर्यावरण एवं वन)

**DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE****NOTIFICATION**

Delhi, the 21st January, 2022

**F. 1(2495)/LEGAL/HQ/2021-22/9734-42.**—In exercise of the powers conferred by Section 17 of Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927), read with the Government of India, Ministry of Home, Notification No104-J and 146-J dated 24.08.50 and 06.12.1950, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby appoints the Divisional Commissioner (Revenue) as the Appellate Authority to hear appeals against the orders passed by Forest Settlement Officer under said Act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of  
the National Capital Territory of Delhi,

Dr. K.S. JAYACHANDRAN, Spl. Secy. (Environment & Forests)